पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

विविध अपील सं. 746/2012

==========

1. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, सी 1/3 लक्ष्मी दाह नैनी बाला बैग्स, आजादपुर, वाणिज्यिक परिसर, दिल्ली-3।

2. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, पी. डब्ल्यू. हाई स्कूल रोड, खगड़िया, थाना और जिला खगड़िया।

दोनों ने श्री अंजनी कुमार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, जो ए. ओ. के रूप में काम कर रहे थे और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र रूप से गठित वकील थे, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, सोन भवन, थाना सचिवालय, जिला पटना में है।

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. रोमिता तिवारी पत्नी- स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

2. खुशबू तिवारी पुत्री स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

3. लाल साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

4. काजल तिवारी पुत्री स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

5. मधु तिवारी पत्नी स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

6. सूरज साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

7. राजकुमार साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी। सभी नाबालिग बेटे और बेटियां अपनी मां रोमिता तिवारी के संरक्षण में हैं, जो गांव-झमझरा, थाना पशराहा, जिला-खगड़िया की निवासी हैं।

8. बबलू पोद्दार उर्फ सत्य नारायण पोद्दार पुत्र राम सरन पोद्दार ग्राम मरैया बाजार, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया के निवासी। जीप के मालिक का पंजीकरण सं. डीएल-1सी/2761

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी

==========

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 140,166,173-अतिरिक्त दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील-बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन-बीमा कंपनी का दायित्व-तीसरे पक्ष का दावा।

आयोजित किया गयाः अपील में कोई योग्यता नहीं है-अपील दायर करने के समय जमा की गई वैधानिक राशि प्रत्यर्थी के नाम पर चेक के माध्यम से वापस भेजी जाए-दावेदारों को दी गई राशि का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता-वाहन के मालिक से वसूली कर सकते हैं।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

विविध अपील सं. 746/2012

==========

1. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, सी 1/3 लक्ष्मी दाह नैनी बाला बैग्स, आजादपुर, वाणिज्यिक परिसर, दिल्ली-3।

2. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, पी. डब्ल्यू. हाई स्कूल रोड, खगड़िया, थाना और जिला खगड़िया।

दोनों ने श्री अंजनी कुमार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, जो ए. ओ. के रूप में काम कर रहे थे और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र रूप से गठित वकील थे, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, सोन भवन, थाना सचिवालय, जिला पटना में है।

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. रोमिता तिवारी पत्नी- स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

2. खुशबू तिवारी पुत्री स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

3. लाल साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

4. काजल तिवारी पुत्री स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

5. मधु तिवारी पत्नी स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

6. सूरज साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी।

7. राजकुमार साहब पुत्र स्वर्गीय महेश्वर तिवारी। सभी नाबालिग बेटे और बेटियां अपनी मां रोमिता तिवारी के संरक्षण में हैं, जो गांव-झमझरा, थाना पशराहा, जिला-खगड़िया की निवासी हैं।

8. बबलू पोद्दार उर्फ सत्य नारायण पोद्दार पुत्र राम सरन पोद्दार ग्राम मरैया बाजार, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया के निवासी। जीप के मालिक का पंजीकरण सं. डीएल-1सी/2761

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर सेः श्री शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ताः श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

श्री राजेश सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 8 के लिए: श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री बीरेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक 29-01-2019

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस अपील में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत इस अपील में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त दावा न्यायाधिकरण

खगड़िया द्वारा दावा मामला संख्या 05/2005 में पारित क्रमशः 17 दिसंबर,2011 और 10 जनवरी, 2012 के फैसले को चुनौती दी है। जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को दावेदारों के पक्ष में प्रदत्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है, जो यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 7 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रोमिता तिवारी मृतक की पत्नी है और अन्य उत्तरदाता मृतक के बच्चे हैं।

3. मृतक महेश्वर तिवारी एक वकील थे, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। पंजीकरण संख्या डी.एल.आई सी/276/ वाली जीप के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण 19.12.2002 को एक मोटर वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आश्रितों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मृतक की आय छह हजार प्रति माह दर्शाते हुए तीन लाख पचास हजार रुपये के मुआवजे का दावा किया। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च, संघ के नुकसान और राज्य को नुकसान के रूप में दो लाख चालीस हजार रुपये और नौ हजार पाँच सौ रुपये के मुआवजे की अनुमति दी। उस पचास हजार रुपये में से जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत दायर एक अलग याचिका में दिया गया था, उसे समायोजित करने का आदेश दिया गया था।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि दुर्घटना के समय वाहन का निजी उपयोग के लिए बीमा किया गया था। हालाँकि, इसका उपयोग बीमा के शर्तों के खिलाफ के वाणिज्यिक वाहन के रूप में किया जा रहा था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तारीख पर कोई वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मालिक ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया। अतः न्यायाधिकरण को अपीलार्थियों पर दायित्व निर्धारित नहीं करना चाहिए था।

5. कानून अच्छी तरह से तय है कि उपरोक्त स्थिति में, बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष के दावे का भुगतान करना होगा और वाहन के मालिक से इसकी वसूली करनी होगी, यदि निर्णय के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही में वसूली का मामला सामने आता है।

6. इसलिए, मुझे उपरोक्त आधार पर इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को पहले दावेदारों को अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता है और उसके बाद वाहन के मालिक प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ वसूली की जा सकती है। इस अपील को दाखिल करने के समय जमा की गई वैधानिक राशि को प्रत्यर्थी संख्या 1 रोमिता तिवारी के नाम पर चेक के माध्यम से वापस भेजा जाएगा, जिसे अंतिम भुगतान के साथ समायोजित किया जाएगा।

(बीरेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एमकेआर./बंटी-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।